न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, उदयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : दमयंती पुरोहित, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या–129/2023 मु. दी. (41)
(सी.आई.एस. नम्बर–129/2023)

हीज होलीनेस सैयदना मुफदल सैफुद्दीन (टी.यू.एस.) तरेपनवे दाई–उल–मुतलक दाउदी बोहरा समाज सैफी महल मुम्बई जरिये अधिकारपत्र गृहिता श्री शब्बीर के. मुस्तफा पिता कुरबान हुसैन बोहरा मुस्तफा उम्र 73 साल निवासी 110, सहेली नगर, उदयपुर

–– प्रार्थीगण

बनाम

1– आबिद हुसैन पिता हसन अली बोहरा आबिद निवासी नाईवाडा उदयपुर

2– जाकिर अली पिता अली मोहम्मद बोहरा हींतावाला निवासी फतहपुरा उदयपुर

3– दाउदी बोहरा जमात, उदयपुर द्वारा श्री जाकिर हुसैन बोहरा पंसारी पिता याहया अली बोहरा पंसारी निवासी रसूलपुरा, उदयपुर –– विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4
एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

उपस्थित:

1. श्री रवि भंसाली, वरिष्ठ अधिवक्ता, असिस्टेड बाय श्री उमेश शर्मा, अधिवक्ता, केजार मर्चेन्ट, अधिवक्ता–प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अरूण व्यास, अधिवक्ता–विपक्षी सं.1 व 3 की ओर से।
3. श्री सुशील डांगी, अधिवक्ता–विपक्षी सं. 2 की ओर से।

:: आदेश :: **दिनांक : 09.09.2024**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 व्य. प्र.सं. विपक्षीगण आबिद हुसैन व अन्य के विरूद्ध दिनांक 6.7.2023 को प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 10.7.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया कि प्रार्थी धार्मिक एवं स्पीरिचुअल लीडर दाउदी बोहरा समाज के है जिन्हें दाई–उल–मुतलक के नाम से जाना जाता है। दाउदी बोहरा समाज जो मुस्लिम मान्यता रखते हुए शिया एक्ट से ताल्लुक रखता है। सैयदना साहब बोहरा समाज के धार्मिक गुरू तो है ही साथ ही बोहरा समाज की अचल सम्पत्ति के एक मात्र सोल ट्रस्टी है तथा अपनी सम्पत्तियों की देख–रेख करने, उनकी व्यवस्था करने और उनके सुचारू रूप से संचालन करने का उनको पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है

तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर भी सैयदना साहब के अधिकारों को मान्यता दी जा चुकी है। तत्कालीन डॉ. सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब बावनवे दाई–उल–मुतलक की तरफ से पूर्व में एक प्रार्थनापत्र आदेश–39 नियम–1, 2 सपठित धारा–151 एवं आदेश–40 नियम–1 सीपीसी का न्यायालय में पेश किया जिसका मुकदमा नंबर 34/1985 है जिसमें विपक्षीगण की ओर से जवाब पेश हुआ तत्पश्चात् जिला न्यायाधीश, उदयपुर द्वारा उसका निर्णय पारित कर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में आगे कथन किया कि बोहरा समाज की बोहरवाडी स्थित मौहल्ले में कुल चार मस्जिदे स्थित है जहां पर दाई–उल–मुतलक सैयदना साहब की तरफ से दी गई रजा(आज्ञा) के आधार पर पेश ईमाम नमाज अदा करवाते जिसमें चार मस्जिदे मोईयतपुरा मस्जिद, वजीरपुरा मस्जिद, रसूलपुरा मस्जिद एवं बडा बाजार स्थित खानपूरा मस्जिद है। गुलाम अब्बास बनाम इकबाल जिसके मुकदमा नंबर 69/1982 है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र का निस्तारण हुआ और उसके आधार पर निर्णय को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थनापत्र आदेश–39 नियम–1, 2 सपठित धारा–151 एवं आदेश–40 नियम–1 सीपीसी निरस्त कर दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील का निस्तारण दिनांक 22.5.1984 को किया गया। अपील के दौराने वादी के अधिवक्ता ने बहस की जो पैरा नंबर–77 पर दर्ज है। उक्त निर्णय में यह माना कि हालांकि प्रार्थी चारों मस्जिद के हकदार है, परन्तु जब तक विवाद का अंतिम निपटारा न हो जाये तब तक प्रार्थी की तरफ से रजा और उनकी आज्ञा के अनुसार पेश इमाम नियुक्त करने तथा अन्य धार्मिक क्रियाकलाप के लिए मोहियतपुरा की मस्जिद उन्हें दे दी जाये। इस निर्णय के आधार पर सैयदना साहब में आस्था रखने वाले शबाब गुट के लोग इस मस्जिद में आज दिन तक बराबर नमाज एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते आये है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में आगे कथन किया कि मोहियतपुरा मस्जिद करीब 200 साल पुरानी है जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर पुरूष तथा फर्स्ट फ्लोर पर स्त्रीयां नमाज अदा एवं अन्य धार्मिक क्रिया कलाप करती है। उक्त मस्जिद जगह जगह से टूट चुकी है। माह अप्रेल 2022 में जब रमजान के महीने में धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे थे तो उपर की मंजिल में शोर्ट सर्किट के कारण भयंकर आग लग गई और जितने भी स्त्री पुरूष थे वो बाहर आ गये, कुछ पट्टियां व खिडकियां टूट गई, मस्जिद खण्डहर हो गई। इस तरह मोहियतपुरा मस्जिद की फर्स्ट फ्लोर पर नमाज अदा करने एवं वायज सुनने के काबिल नहीं रहा है और स्त्रीयां उससे वंचित रह गई। मस्जिद के पुनर्निर्माण एवं रिपेयरिंग हेतु सैयदना साहब की तरफ से इंजीनियर मनीष पण्ड्या को नियुक्त किया

जिसने रिपोर्ट दिनांक 17.1.2023 पेश की जिसमें मस्जिद का पुनर्निर्माण होना आवश्यक बताया। इस प्रकार समुदाय के लोग उक्त मस्जिद पर पुरी गेदरिंग के साथ नमाज अदा नहीं कर पा रहे है, अन्य धार्मिक क्रियाकलाप नहीं कर पा रहे है। माह जून 2023 में बिपरजॉय तुफान से भी मस्जिद की एक दीवार में क्रेक्स आ गया और काफी जर्जर अवस्था में हो गई है जो कभी भी गिर सकती है। इस संबंध में सैयदना के पेश इमाम आमील ने मै. अलमोहनडिस स्ट्रक्चरल एवं कन्सल्टेंट मुम्बई को नियुक्त किया जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.6.2023 अनुसार मस्जिद को गिरा पुनर्निर्माण की राय दी तथा यह भी राय दी कि मस्जिद का उपयोग करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को पूरा अधिकार प्राप्त है कि वह मस्जिद को गिराकर नया निर्माण करे इसका सभी व्यय प्रार्थी वहन करने को तैयार है। मस्जिद का पूर्व में रिसीवर नियुक्त था जिसे हटाने का प्रार्थनापत्र पेश किया जिसका आदेश हुआ और उसकी रिट राजस्थान उच्च न्यायालय में की गई जिसमें यह निर्देश दिए गए कि मस्जिद में तोड फोड या पुनर्निर्माण करने हेतु दोनों पक्ष को पाबंद किया कि वे सिविल न्यायालय में जहां मुकदमा लंबित है वहां प्रार्थनापत्र पेश करे। इसलिए यह प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है। अभी मस्जिद पुलिस उपअधीक्षक एवं थानाधिकारी धानमण्डी के अधीन है वे ही मस्जिद का ताला लगाते है और खोलते है तथा उन्हीं की निगरानी में है, ऐसे में इन्हें पुनर्निर्माण के संबंध में आदेश दिया जाना आवश्यक है। अंत में प्रार्थना की कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मोहियतपुरा मस्जिद को गिराकर नई बनाने हेतु आवश्यक आदेश पुलिस उप अधीक्षक शहर, उदयपुर एवं थानाधिकारी धानमण्डी उदयपुर को प्रदान किये जावे तथा मस्जिद पुनर्निर्माण हेतु प्रार्थी को सुपुर्द करे। प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी, इंजीनियर मनीष पण्ड्या, लियाकत हुसैन के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये।

विपक्षी सं.2 की ओर से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबालियां जवाब प्रस्तुत किया है।

विपक्षी सं.1 व 3 की ओर से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि मुस्लिम धर्म में वक्फ सम्पत्तियां किसी व्यक्ति या संस्थान में निहित नहीं होती बल्कि अल्लाह में निहित होती है तब ऐसी सम्पत्तियों के संबंध में सोल ट्रस्टी का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है और न है, प्रश्नगत सम्पत्तियां वक्फ की है तथा वक्फ अधिनियम में सोल ट्रस्टी का कोई स्थान नहीं है, बल्कि मुतवली होते है। इस प्रकार अधिनियम के विपरीत कथन करने से ऐसे कथन मान्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 22.5.1984 आज भी प्रभावी है जिसमें केवल विपक्षी द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं करने का आदेश था, न कि मस्जिद सुपुर्द करने का। मस्जिद आज भी विपक्षी सं.3 की देखरेख में है और वो ही नल

बिजली के बिल जमा करा रहे है, रिसीवर कायमी का आदेश आज भी प्रभावी है इसलिए मस्जिद का ताला पुलिस चौकी बोहरवाडी के कर्मचारी खोलते व बंद करते है। प्रार्थी के लोगों के अलावा विपक्षी को भी नमाज व धार्मिक क्रिया कलाप करने पर रोक नहीं है जिसमें दोनों को अलग–अलग जगह बिठाने की व्यवस्था की गई है जिस तथ्य को प्रार्थी ने छिपाया है। मस्जिद में प्रार्थी के अनुयायियों द्वारा तोड फोड की गई है तथा विद्युत लाईन व डीजी सेट को जोडने से आग लगी। रिपोर्ट मिलीभगत से प्रार्थी ने बनवाई है। मस्जिद एक हेरिटेज बिल्डिंग है जिसे पुनः निर्मित कराना कतई संभव नहीं है। वर्तमान में शबाब गुट ने नगर में 8 नई आधुनिक मस्जिदे अलग अलग क्षेत्र में बना रखी है वहीं धार्मिक क्रियाकलाप करते है, मात्र हक जताने के लिए विशिष्ठ आयोजन रखकर प्रश्नगत मस्जिद में भीड एकत्रित की जाती है अन्य मस्जिदों का विकल्प होने से वांछित अनुतोष देय नहीं है। बोहरा समाज नगर के अन्य दूर दूर कॉलोनीज में जा बसने से वहीं मस्जिदे बनाकर उपयोग लेने के कारण इस मस्जिद का उपयोग लगभग बंद कर दिया है। इसलिए प्रार्थनापत्र सव्यय निरस्त योग्य है।

विपक्षी सं.1 व 3 ने अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत मस्जिद विपक्षी सं.3 के अनुयाईयों के कब्जे में थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत रिसीवर की निगरानी में धार्मिक क्रियाकलाप हेतु प्रार्थी के अनुयाईयों को सुविधा दी है, उसके हक अभी तय होना शेष है। प्रार्थी पक्ष समय समय पर उक्त मस्जिद को अपने नियंत्रण में लेने हेतु अलग अलग बहानों से एवं अलग अलग जरियों से प्रयासरत रहे है जिसमें सफल नहीं हुए है। पूर्व में भी मस्जिद गिराऊ होने का कथन कर खिडकी दरवाजे निकाल लिये ताकि कब्जा जताया जा सके जिस पर विपक्षी ने एतराज किया तो जिला कलक्टर द्वारा नगर विकास प्रन्यास के अधिकारियों के माध्यम से निकाले गये खिडकी दरवाजों को यथास्थान लगवाये गये। जिला कलक्टर ने बैठक के आदेश किये। वर्तमान में प्रार्थी ने अपने पक्ष की औरतों को वहां बुलाना बंद कर दिया ताकि उपर की मंजिल की साफ सफाई न हो। मस्जिद की मात्र रिपेयरिंग की आवश्यकता है। विपक्षी सं.1 व 3 ने प्रार्थी द्वारा पेश कथित एक्सपर्ट रिपोर्ट को वेरीफाई करने हेतु प्रयास किये तो रिसीवर एवं पुलिस ने अनुमति नहीं दी, फिर मात्र बाहरी तौर पर जांच कराई जो केवल रिपेयरिंग योग्य ही पाई गई है। बिल्डिंग असुरक्षित होने का जो हौवा खडाकर उसकी आड में उसे गिराकर नया बनाने के प्रयास वास्तव में उस पर स्वामित्व के क्लेम को पुख्ता करने का प्रयास मात्र है। यह कृत्य न्यायालय के आदेशों, जिसके तहत बिल्डिंग की यथास्थिति कायम रखनी है उसकी अवहेलना है। विपक्षी को रिसीवर ने जांच हेतु प्रवेश की अनुमति नहीं दी तथा न ही रिसीवर ने प्रार्थी की किसी जांच से इंकार किया है, प्रार्थी के किसी विशेषज्ञ को प्रवेश

नहीं दिया, ऐसी जानकारी दी एवं शिकायत करने पर कार्यवाही करने का भरोसा दिया तब विपक्षी की ओर से दिनांक 25.8.2023 को लिखित परिवाद पेश किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने या तो फर्जी रिपोर्ट बनवाई है या नियम विरूद्ध अवैध प्रवेश करा कोई कृत्य किया तो उस आधार पर कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है। अंत में प्रार्थनापत्र सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की। जवाब के समर्थन में विपक्षी अल्ताफ हुसैन का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्ष की बहस प्रार्थना–पत्र पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों को दोहराते हुए तर्क दिये गये कि प्रार्थी पक्ष के ही अन्य सदस्य द्वारा बोहरवाडी स्थित मौहल्ले की मोईयतपुरा, वजीरपुरा, रसीदपुरा व खानपुरा मस्जिद के संबंध में मुकदमा नंबर 69/82 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र आदेश–39 नियम–1, 2 सीपीसी तथा आदेश–40 नियम–1 सीपीसी निरस्त होने के पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील सं. 5/1984 के निर्णय दिनांक 22.5.1984 में उक्त चारों मस्जिदों का हकदार प्रार्थी को मानते हुए विवाद के अंतिम निस्तारण तक प्रार्थी डॉ. सैयदना साहब की तरफ से रजा और उनकी आज्ञा के अनुसार पेश इमाम नियत करने व अन्य धार्मिक कियाकलाप करने के लिए मोईयतपुरा मस्जिद सैयदना साहब के अनुयायियों शबाब गुट में दिया जाना तय किया गया। यह मस्जिद करीब 200 वर्ष पुरानी है। इसकी छतों में व दीवारों में दरारे आ गई है। पुरूष द्वारा ग्राउण्ड फ्लोर व महिलाओं द्वारा प्रथम तल पर नमाज व धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता रहा है। अप्रैल 2002 में रमजान के महीने में जब पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई थी तो उपर की मंजिल में शोर्ट सर्किट के कारण भयंकर आग लग गई जिसके कारण प्रथम मंजिल नमाज अदा करने व वायज सुनने के काबिल नहीं रही है। मस्जिद के पुनः निर्माण/रिपेयरिंग बाबत् सैयदना साहब द्वारा नियुक्त चार्टेड इंजीनियर मनीष पिता मधुसुदन पण्ड्या द्वारा मौका मुआयना कर दिनांक 17.1.2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें उन्होंने मस्जिद का पुनः निर्माण होना आवश्यक माना है और यह राय दी कि वर्तमान बिल्डिंग पर बडी मात्रा में गेदरिंग नहीं हो सकती है, बिल्डिंग गिराऊ हालत में है। इसी प्रकार माह जून 2023 में उदयपुर में बिपरजॉय तुफान आने के कारण मोईयतपुरा मस्जिद जरजर अवस्था में हो गई जो कभी भी गिर सकती है। सैयदना साहब के पेश इमाम आमिल साहब द्वारा नियुक्त मै. अलमोहन डिश स्ट्रक्चरल व कनसल्टेंट मुम्बई के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.6.2023 में मस्जिद को गिराकर पुनः निर्माण किये जाने की स्पष्ट राय दी गई और रिपोर्ट दी गई कि मस्जिद का फिलहाल उपयोग करना खतरे से खाली नहीं है।

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के अनुसार केवलमात्र मोईयतपुरा मस्जिद में ही सैयदना साहब के अनुयायी इमाम और नमाज अदा कर सकते है। ऐसी स्थिति में जान माल की हानि की संभावना नहीं हो, इसलिए प्रार्थी सैयदना साहब जो कि बोहरा समाज के दाई–उल–मुतलक है, इस मस्जिद के पुनर्निर्माण पर सभी खर्चा वहन करने के लिए तैयार है। भविष्य में इस खर्चे का क्लेम भी नहीं करेंगे और न ही राज्य सरकार से खर्चा वसूल करेंगे। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 338/97 में पारित निर्णय दिनांक 11.8.98 में आदेश दिया गया था कि इस मस्जिद के बारे में किसी प्रकार की तोड–फोड/पुनर्निर्माण/परिवर्तन को लेकर उस सिविल न्यायालय में ही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा सकता है जहां यह मुकदमा चल रहा है। वर्तमान में मस्जिद पुलिस उप–अधीक्षक व थानाधिकारी धानमण्डी के अधीन है। अतः पुलिस उप–अधीक्षक उदयपुर एवं थानाधिकारी धानमण्डी को आदेश दिया जावे कि वे प्रार्थी सैयदना साहब द्वारा उक्त मस्जिद को तुरन्त तुडवाते हुए मस्जिद का पुनः नया निर्माण शीघ्रताशीघ्र करावे। वर्तमान में सैयदना साहब के प्रतिनिधि आलिम साहब ने उक्त मोईयतपुरा मस्जिद को काम में नहीं लिये जाने का आदेश दिया गया है। पूरी क्षमता के साथ मस्जिद का उपयोग नहीं हो पा रहा है और प्रार्थी पक्ष मस्जिद में वायज एवं धार्मिक क्रियाकलाप से वंचित हो गये है। यहां तक कि मस्जिद में जाकर नमाज भी अदा नहीं कर पा रहे है। मस्जिद का चौक व खंभा क्षतिग्रस्त हो चुका है। आग लगने वाला हिस्सा कभी भी गिर सकता है। मस्जिद में जगह जगह क्रेक्स में पेड, पौधे उग गये है। मस्जिद में लगी पट्टियां व खिडकी टूट चुकी है। जगह जगह से मस्जिद खण्डहर हो चुकी है। 150 साल पुराना ढांचा होने से राजस्थान सरकार के पी. डब्ल्यू.डी. के स्टेण्डिंग ऑडर क्रमांक–एक्स–3/2021 के अनुसार इस मस्जिद ने अपनी उम्र से 50 प्रतिशत से ज्यादा समय निकाल लिया है, मस्जिद में प्रवेश तथा निकास के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है जिससे अत्यधिक भीड होने पर Stampede व दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार मस्जिद की विद्युत व्यवस्था भी अत्यधिक लोड लेने हेतु पर्याप्त नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि इस न्यायालय के आदेश से नियुक्त चार्टेड इंजीनियर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में मस्जिद को सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित माना है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मस्जिद के पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाना आवश्यक होना बताते हुए अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये–

1– प्रकरण संख्या 40/1985 मु.दी.41

2– प्रकरण संख्या 120/1985 मु.दी. 41 में जिला न्यायाधीश, उदयपुर के आदेश दिनांक 14.11.1991

3– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश श्री इकबाल बनाम हीज होलीनेस डॉ. सैयद मोहम्मद 1992 (2) डब्ल्यू.एल.सी. 171

4– एस.बी. क्रिमीनल मिसलेनियएस पिटीशन नंबर 574/1997 व रिवीजन पिटीशन नंबर 338/1997 में पारित आदेश दिनांक 11.8.1998

5– माननीय एम.पी. उच्च न्यायालय द्वारा मिसलेनियस पिटीशन संख्या 245/1990 में पारित आदेश दिनांक 31.1.1994

6– इस न्यायालय द्वारा आदेश–39 नियम–7 सीपीसी के तहत पारित आदेश दिनांक 17.1.2024

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में किये गये कथनों को दोहराते हुए तर्क दिये गये कि वर्ष 2022 में जिस आग से पट्टियां व खिडकियां टूटना बताते है वह आग स्वयं प्रार्थी की लापरवाही का नतीजा है। उस आग के 15 माह पश्चात प्रार्थी यह प्रार्थनापत्र लेकर आये है। यदि गंभीर वारदात हुई होती तो प्रार्थी निश्चित ही व्यवस्था करते, परन्तु प्रार्थी पक्ष येन–केन–प्रकारेण मस्जिद पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते है। पूर्व में भी जान बूझकर खिडकियों को तोडा गया था व 2013 में मुसाफिरखाना को ध्वस्त करने की नियत से तोडफोड की गई थी जिससे गिर जाने के कारण कालान्तर में रिसीवर द्वारा हटवाया गया फिर छत पर लोहे के जंगले लगाकर टीनशेड लगाकर मूल स्वरूप बदला गया। अनाधिकृत रूप से विद्युत लाईन व डी.जी. सेट परिसर में जोडने से आग लगी थी जिसे बिना न्यायालय की अनुमति के व रिसीवर की बिना जानकारी के मरम्मत कर दिया गया था जो न्यायिक आदेश का उल्लंघन है। उक्त आग से पूरा परिसर चपेट में नहीं आया था। जिस निरीक्षण रिपोर्ट का प्रार्थी पक्ष हवाला देते है उक्त निरीक्षण रिपोर्ट दोनों पक्षों की मौजूदगी में नहीं बनाई गई है। मस्जिद एक हैरिटेज बिल्डिंग है जिसे पुनः निर्मित कराना कतई संभव नहीं है। बिल्डिंग गिराऊ हालत में नहीं है। बिल्डिंग की वास्तविक स्थिति के संबंध में केवल रिसीवर द्वारा ही रिपोर्ट दी जा सकती है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। बिल्डिंग रिसीवर के कब्जे में होने के बावजूद बिना अनुमति बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए एक्सपर्ट द्वारा रिपोर्ट बनाई है यह तथ्य प्रार्थी के आशय बाबत् संदेह उत्पन्न करता है। जबकि न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट बताया है कि मस्जिद को तुरन्त गिराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं का प्लास्तर टूटा होना एवं क्रेक्स देखे जाने के कारण सम्पूर्ण ढांचे को गिराऊ हालत में नहीं माना जा सकता है। बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल, स्टेबिलिटी एवं सैफ्टी हेतु नॉन डिस्ट्रक्टीव टेस्ट करना जरूरी है।

जो अंदर प्रवेश नहीं दिये जाने से संभव नहीं हुआ है। उक्त टेस्ट में रिबाउण्ड हेमर टेस्ट, अल्ट्रा सोनिक पल्स वॉलोसेफटिक टेस्ट, कोर्बोनेशन टेस्ट शामिल है जिससे ही आन्तरिक क्षति की जानकारी हो सकती है। इसके अलावा बिल्डिंग की आयु एवं सही मेन्टनेंस प्रक्रिया हेतु आरकियोलोजिकल एक्सपर्ट की राय ली जानी चाहिए थी। बिल्डिंग असुरक्षित होने का जो हव्वा खडाकर उसकी आड में उसे गिराकर नई बनाने के प्रयास वास्तव में उस पर स्वामित्व के क्लेम को पुख्ता करने का प्रयास मात्र है। ऐसा कृत्य माननीय न्यायालय के आदेश जिनके तहत बिल्डिंग की यथास्थिति रखनी है उसकी अवहेलना है। प्रार्थी द्वारा अपने स्तर पर बिना प्रवेश की अनुमति के या तो फर्जी रिपोर्ट बनाई है या नियम विरूद्ध अवैध प्रवेश कराकर आपराधिक कृत्य किया गया है।

इसके अलावा उनका यह भी तर्क रहा है कि मूल आदेश–39 नियम–4 सीपीसी का प्रार्थनापत्र डॉ. सैयदना साहब द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 11.2.1985 में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से संबंधित नहीं होने से हस्तगत आदेश–39 नियम–4 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होगा। जिस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एस.बी. सिविल मिसलेनियस अपील नंबर 5/1984 दिनांक 22.5.1984 का प्रार्थनापत्र में हवाला दिया गया है वह आदेश पहले के गुलाम अब्बास व अन्य वाले वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 53/1982 के विरूद्ध प्रस्तुत मिसलेनियस अपील में पारित किया गया था, इसलिए हस्तगत प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होने से भी खारिज किये जाने योग्यहै

उपरोक्त तर्को पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के साथ साथ दोनों पक्षों में लंबित मूल वाद से संबंधित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। यह स्वीकृत स्थिति है कि दोनों ही पक्ष एक ही दाऊदी बोहरा बिरादरी के सदस्य है जिनमें प्रार्थी पक्ष दाई–उल–मुतलक बोहरा समाज डॉ. सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के अनुयायी है जिन्हें शबाब ग्रुप से संबोधित किया गया है। अप्रार्थी पक्ष दाई–उल–मुतलक डॉ.सैयदना साहब की अधिकारिता को व उनके व उनके अनुयायी द्वारा कराई इमामत जमात नमाज, धार्मिक आयोजन, वायज मजली आदि का विरोध करते है। अप्रार्थी दाउदी बोहरा के सदस्य को बोहरा यूथ ग्रुप अथवा दाउदी बोहरा जमात के नाम से जाना जाता है। उक्त शबाब ग्रुप के द्वारा यूथ ग्रुप के विरूद्ध उदयपुर में स्थिति दाऊदी बोहरा समुदाय की चार मस्जिदों के संबंध में सर्वप्रथम एक वाद 69/1982 गुलाम अब्बास बनाम इकबाल व अन्य तथा दूसरा दावा 34/1985 डॉ.सैयदना बनाम इकबाल प्रस्तुत किया गया है। दोनों दावे में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये है।

डॉ. सैयदना साहब के मूल दावे के साथ प्रस्तुत किये गये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 40/1984 में प्रार्थीगण द्वारा आदेश–40 नियम–1 सीपीसी के तहत चार

मस्जिदों में रिसीवर नियुक्त करने के अनुतोष के साथ साथ अप्रार्थी पक्ष के द्वारा उनके धार्मिक कार्यक्रम एवं आयोजनों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत् अनुतोष चाहा गया है। इसी प्रकार उक्त सैयदना साहब वाले मूल वाद के साथ अप्रार्थी द्वारा भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र संख्या 120/1985 प्रस्तुत कर प्रार्थी पक्ष के विरूद्ध यह अनुतोष चाहा है कि डॉ. सैयदना व इनके अनुयायी मोईयतपुरा मस्जिद की वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन या कार्य नहीं करायेंगे तथा सैयदना साहब वाला दावा पेश होने की दिनांक की स्थिति अनुसार यथास्थिति बनाये रखेंगे।

इस प्रकार दाउदी बोहरा समुदाय के शबाब ग्रुप डॉ. सैयदना की अधिकारिता एवं निर्देश में किये जा रहे धार्मिक आयोजन एवं इमामत/नमाज के संबंध में चारों मस्जिद में अपना प्रथम दृष्ट्या अधिकार होना मानते है। जबकि यूथ ग्रुप के सदस्य इन चारों मस्जिदों में प्रार्थी पक्ष की अधिकारिता को अस्वीकार करते हुए पूर्व से ही इन पर अपना कब्जा मानते हुए प्रार्थी पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कराने का अनुतोष चाहते है।

दोनों पक्षों में विवाद के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेश व वर्तमान स्थिति :–

1– जिला न्यायालय, उदयपुर में मूल वाद हीज होलीनेस सैयदना साहब बनाम अप्रार्थी इकबाल व अन्य प्रकरण संख्या 34/1985 दिनांक 12.2.1985 को प्रार्थनापत्र में वर्णित चार मस्जिदों की घोषणा, कब्जा प्राप्त करने एवं अप्रार्थी व अन्य के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। इस मूल दावे के साथ आदेश–39 नियम–1, 2 सीपीसी के तहत दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र 40/1985 व 120/1985 प्रस्तुत किये गये थे जिसमें जिला न्यायाधीश उदयपुर द्वारा दिनांक 14.11.1991 को आदेश पारित करते हुए अन्य तीन मस्जिदों के संबंध में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की तथा प्रश्नगत मोईयतपुरा मस्जिद के संबंध में आदेश में लिखा गया है कि इस मस्जिद के संबंध में निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मस्जिद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सिटी मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा धारा–146 दंप्रसं के तहत नियुक्त रिसीवर के कब्जे व कंट्रोल में है। अतः **इन मजिस्द में कोई भी पक्ष, रिसीवर, अपने एजेन्ट व अन्य किसी व्यक्ति के जरिये न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रकार का मरम्मत कार्य नहीं करावे। यदि मरम्मत का कार्य कोई पक्ष कराना आवश्यक समझता है तो अलग से प्रार्थनापत्र मय हर्जे–खर्चे व एस्टीमेट के जिला न्यायालय में पेश करेगा।**

2– इसी न्यायालय में प्रार्थनापत्र में वर्णित इन्हीं चारों मस्जिदों के संबंध में पूर्व में

गुलाम अब्बास व अन्य द्वारा दाऊदी बोहरा समाज व उनके स्पीरिचुअल हैड डॉ. सैयद मोहम्मद साहब के बिहॉफ पर श्री इकबाल व अन्य तथा अप्रार्थी दाऊदी बोहरा जमात के सदस्यों के विरूद्ध इन चारों मस्जिदों में इमामत या जमात नमाज पेश करने की अधिकारिता को लेकर प्रकरण संख्या 62/1982 दिनांक 11.5.1982 को प्रस्तुत किया गया था जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रकरण संख्या 53/1982 में जिला न्यायाधीश, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.1983 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया था। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल मिसलेनियस अपील संख्या 5/84 1984 आर.एल.आर. 888 प्रस्तुत करने पर दिनांक 22.5.84 को आदेश पारित करते हुए पूर्व के गुलाम अब्बास वाले प्रकरण के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आदेश दिया गया कि **प्रश्नगत मोईयतपुरा मस्जिद पर दाई–उल–मुतलक की अधिकारिता में नियुक्त पेश इमाम द्वारा कराई गई इमामत/जमात नमाज में उक्त प्रकरण के वादीगण तथा शबाब ग्रुप के सदस्यों को मोईयतपुरा मस्जिद में इमामत/जमात नमाज अदा करने पर प्रतिवादीगण तथा बोहरा यूथ एसोसिएशन/दाउदी बोहरा जमात के सदस्य किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे तथा उन्हें वायज मजली व अन्य धार्मिक कार्यक्रम व समारोह आदि में दाई–उल–मुतलक की अनुमति से उपस्थित होने देंगे। इसी प्रकार दाई–उल–मुतलक की अनुमति या अधिकारिता में कराई जा रही वायज मजली या अन्य धार्मिक आयोजन में किसी प्रकार से वे उक्त मस्जिद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न ही उनकी अधिकारिता में कराई जा रही इमामत/जमात नमाज को डिस्टर्ब करेंगे।** साथ ही प्रतिवादीगण/बोहरा युथ एसोसिएशन/दाऊदी बोहरा जमात के सदस्य उक्त मस्जिद में पृथक से अपने स्तर पर कोई स्वयं की इमामत/जमात नमाज वायज, मजलीज या अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेंगे।

3– प्रार्थीगण द्वारा दूसरा दावा प्रस्तुत करने से पूर्व तथा उपरोक्त अपील आदेश दिनांक 22.5.1984 के पश्चात् आपराधिक कार्यवाही दिनांक 25.9.1984 धारा–145 दंप्रसं के प्रकरण 365/84 के तहत सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा मोईयतपुरा मस्जिद हेतु पुलिस उप–अधीक्षक को रिसीवर नियुक्त किया।(आदेश 30.5.1984)

4– उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र सं. 40/1985 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र सं. 120/85 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील सं. 351/91 व 352/91 प्रस्तुत की गई **अपील संख्या 352/91 के तहत आदेश दिनांक 14.11.91 को संशोधित किया गया जिसके अनुसार मोईयतपुरा मस्जिद के रिसीवर की नियुक्ति को निरन्तर किया गया तथा रिसीवर को मोईयतपुरा मस्जिद के मूलभूत ढांचे**

को अन्तरित नहीं करते हुए रिपेयरिंग का काम कराने हेतु स्वतंत्र किया गया तथा जिला न्यायाधीश के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।

5— शेष तीनों मस्जिदों के नियुक्त रिसीवर बाबत् अपील संख्या 351/91 के आदेश द्वारा अपास्त किया गया, साथ ही पक्षकारों को उन तीनों मस्जिदों के भी मूलभुत ढांचे को परिवर्तित नहीं करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया। उक्त दोनों सिविल मिसलेनियस अपील नंबर 351 व 352 अप्रार्थी पक्ष द्वारा जिला न्यायाधीश के अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण आदेश दिनांक 14.11.1991 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जो दिनांक 20.1.1992 को निस्तारित की गई थी।(न्यायिक दृष्टांत 1992(2) डब्ल्यू.एल.सी. 137) उक्त आदेश की रिव्यु याचिका संख्या 28/92 प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई जो दिनांक 17.4.1996 को खारिज की गई।

6— उक्त अपील आदेशों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मोईयतपुरा मस्जिद में कमिश्नर की नियुक्ति को विधिक रूप से पुष्ट किया गया है।

7— इसके अलावा आबिद अदीब द्वारा जब मोईयतपुरा मस्जिद का ए.डी.एम. उदयपुर के समक्ष इस आधार पर कब्जा क्लेम किया गया कि धारा—145 दंप्रसं की कार्यवाही क्वेश हो चुकी है, तब ए.डी.एम. सिटी द्वारा प्रारंभिक आपत्तियां खारिज की गई जिसके विरूद्ध आबिद अदीब द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में धारा—482 दंप्रसं व पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। (एस.बी.सिविल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 574/1997 तथा रिवीजन पिटीशन संख्या 338/1997) जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थिति को और स्पष्ट करते हुए आदेश दिनांक 11.8.1998 में निम्न आदेश पारित किया :—That order dated 14.11.91 was not quashed in Civil Misc. Court while disposing Appeal No. 352/91: This Court while deciding Civil Misc. Appeal No.352/91 directed that the Moiyatpura mosque shall continue in possession of the Receiver who was initially appointed in proceeding u/s 145 Cr.P.C. in Criminal Case No. 365/84 and it was further further directed that the Receiver shall submit his report within four months as directed By the District Judge, Udaipur **The order Passed by the District Judge. regarding Moiyatpura mosque merged into the order passed by this Court in Civil Misc.Appeal No.352/91 In view of these facts and circumstances of the case, it must be said that the Receiver is Keeping the Moiyatpura mosque in its custody under the orders passed by this Court in civil Misc. Appeal No. 352/91 and the custody of the Receiver is therefore, legal as being under orders the of this Court in appeal.**

8— इस प्रकार आबिद अदीब द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस. बी. क्रिमीनल मिसलेनियस पिटीशन नंबर 574/1997 व रिवीजन पिटीशन नंबर

338/1997 में वर्तमान में मोईयतपुरा मस्जिद में नियुक्त किये गये रिसीवर को सिविल मिसलेनियस अपील नंबर 352/91 के आदेश के अनुसार यथावत् रखते हुए कमिश्नर की नियुक्ति को विधि अनुसार सिविल कार्यवाही के दौरान नियुक्त करना माना है। जैसा कि क्रिमीनल अपील नंबर 352/91 का ऑपरेटिव पार्ट ऊपर लिखा गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि *''मोईयतपुरा मस्जिद हेतु रिसीवर की नियुक्ति दिनांक 14.11.1991 को निरन्तर करते हुए रिसीवर को अतिरिक्त रूप से आदेश दिया गया कि रिसीवर मोईयतपुरा मस्जिद के मूलभुत ढांचे को यथावत् रखते हुए किसी प्रकार का रिपेयरिंग का काम नहीं करे।''* जिससे स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मोईयतपुरा मस्जिद के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य चल रहे विवाद को दृष्टिगत रखते हुए रिपेयरिंग कार्य भी उस हद तक ही स्वीकृत किया गया है कि ऐसे कार्य से मोईयतपुरा मस्जिद का मूलभूत ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों में विवाद का मूल कारण ही यही है कि कौनसे पक्ष का मस्जिद पर लम्बे समय से कब्जा एवं आधिपत्य है, कौनसा पक्ष मस्जिद के प्रशासन एवं नियत्रंण को प्राप्त करने का अधिकारी है, कौनसे पक्ष के पेश इमाम/सदस्यों को नमाज एवं धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन एवं संचालन का अधिकार है तथा कौनसा पक्ष मस्जिद के रख रखाव व मरम्मत निर्माण कराने की अधिकारिता रखता है। इसलिए चूंकि दोनों पक्षों में चल रहे विवाद एवं विभिन्न दावों की विषय वस्तु में मोईयतपुरा मस्जिद के Maintenance and repairs बाबत् विवाद भी शामिल होने से तथा उक्त विषय वस्तु के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिवीजन यचिका में मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश होने से इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है कि प्रार्थी को स्वयं के खर्चे पर उक्त मोईयतपुरा मस्जिद को ध्वस्त करते हुए पुनः निर्मित कराने की अनुमति दे।

9— मोईयतपुरा मस्जिद के संबंध में मौजूदा ढांचे संबंधित रिपोर्ट :—

इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी के द्वारा यह बताना चाहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के पश्चात् बदली हुई परिस्थितियों में वर्तमान में उक्त मस्जिद खण्डहर होकर गिराऊ हालत में है जिसे नई बनाने हेतु तात्कालिक आदेश दिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में प्रार्थी पक्ष के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.10.2023 को चार्टेड इंजीनियर, कमिश्नर नियुक्त करने हेतु आदेश—39 नियम—4 सीपीसी के तहत इसलिए प्रार्थनापत्र पेश किया गया था, क्योंकि प्रार्थी पक्ष स्वयं के द्वारा किसी निजी चार्टेड इंजीनियर मनीष पिता मधुसुदन पण्ड्या से दिनांक 17.1.2023 को मौके की रिपोर्ट बनवाई थी। उक्त रिपोर्ट में नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता बताई गई है इसलिए प्रार्थी पक्ष न्यायालय के माध्यम से विशेषज्ञ आर्किटेक्ट व कमिश्नर को नियुक्त कराना चाहा गया था जिससे स्पष्ट है कि

उक्त आदेश के क्रम में न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर एवं चार्टेड इंजीनियर के द्वारा जो राय दी जायेगी उस आधार पर ही इस न्यायालय को प्रार्थनापत्र को निस्तारित करना था। उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 16.10.2023 को न्यायालय आदेश दिनांक 17.1.2024 द्वारा निस्तारित करते हुए यह राय दी कि चूंकि मोईयतपुरा मस्जिद रिसीवर के अधीन है ऐसी स्थिति में रिसीवर की उपस्थिति में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही तकनीकी रूप से उक्त बिल्डिंग के निरीक्षण हेतु दोनों पक्षों की सहमति से चार्टेड इंजीनियर और न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस फाईडिंग के साथ प्रार्थी पक्ष का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अधिवक्ता श्री राजेश उपाध्याय को कमिश्नर नियुक्त किया गया और चार्टेड इंजीनियर का नाम अवगत कराने हेतु दोनों पक्षों को आदेशित किया गया।

न्यायालय आदेश के क्रम में मोईयतपुरा मस्जिद बोहरवाडी उदयपुर का मौका निरीक्षण दिनांक 7.3.2024 को श्री बी.एल.माथुर एवं एसोसिएट एवं इंजीनियर व आर्किटेक्ट के डायरेक्टर एवं चार्टेड इंजीनियर श्री अशोक जैन द्वारा दिनांक 9.3.2024 को रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट में भवन की आयु, ढांचे की वर्तमान स्थिति और लोगों की क्षमता, नींव भार उठाने वाले अवयव, फिनिशिंग, भविष्य का उपयोग इन सभी बिन्दूओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह निष्कर्ष दिया किया ***प्रथम दृष्ट्या ऐसा नहीं लगता है कि भवन एकदम जरजर अवस्था में है, अतः उसे तुरन्त गिराने की आवश्यकता नहीं है। बालकनी को उपयोग में लाना तुरन्त प्रभाव से बंद करना आवश्यक है। आग से हुई क्षति महत्वपूर्ण है इसका आंकलन करना आवश्यक है। जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है कि तकनीकी आंकलन एवं सामान्य आंकलन दोनों को मिलाकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।***

10— इसके अलावा अधिवक्ता श्री राजेश कुमार उपाध्याय द्वारा दिनांक 3.4.2024 को मौका निरीक्षण किया गया जिसमें मस्जिद दो मंजिल बनी होना व वर्षों पुरानी निर्मित होना व मस्जिद की पूर्वी दिशा में चार फीट चौडी व दक्षिणी पूर्वी दिशा में ढाई फीट चौडी सीढियां होना बताया है व मध्य में दो प्रवेश द्वार होना बताया है। भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल पर प्रस्तुत फोटोग्राफस के अनुसार कई पीलर में क्रेक्स देखे जाने की रिपोर्ट की है। 3—4 पीलर में पानी रिसने से संद होना भी बताया है व प्रथम व द्वितीय तल की दीवार पर दक्षिणी पश्चिमी भाग टूटा होना बताया है। इसके अलावा प्रथम तल पर स्थित दक्षिणी पश्चिमी वाला दरवाजा दीवार बनाकर बंद किया जाना बताया गया है। प्रथम तल पर सभागाकर की छत पर जलने के निशान भी बताये गये है। कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में मस्जिद के वर्तमान ढांचे को ध्वस्त करने से

पूर्व तकनीकी राय आना आवश्यक है कि क्या उपरोक्त पाई गई कमियों को रिपेयरिंग मात्र से दूर की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण मस्जिद के ढांचे को तत्काल रूप से गिराया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर हमारी विनम्र राय में यदि प्रार्थीगण वर्तमान परिस्थितियों में दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के कल्याण हेतु वर्तमान मोईयतपुरा मस्जिद को ध्वस्त कराकर अपने खर्चे पर सुरक्षित एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नयी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते है तो उन्हें सम्पूर्ण एस्टीमेट व जांच रिपोर्ट के साथ कमिश्नर महोदय को पक्षकार बनाकर अथवा कमिश्नर के माध्यम से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अनुमति हेतु आवेदन करना चाहिए, क्योंकि मूलभूत ढांचे को परिवर्तन करने हेतु न तो इस न्यायालय को न ही कमिश्नर महोदय को अधिकार प्राप्त है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.1.1992 (न्यायिक दृष्टांत 1992(2) डब्ल्यू.एल.सी. 137) की रोशनी में आदेश—39 नियम—4 सीपीसी का प्रार्थनापत्र वास्ते प्रार्थी के खर्चे पर ध्वस्त कराने मोईयतपुरा मस्जिद एवं नवनिर्माण हेतु अनुमति, क्षेत्राधिकारिता के अभाव में खारिज किय जाने योग्य पाई जाती है।

आ दे श

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. विरूद्ध विपक्षीगण आबिद हुसैन व अन्य दिनांकित 6.7.2023 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

(दमयंती पुरोहित)
अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम सं.2, उदयपुर

आदेश आज दिनांक 09.09.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दमयंती पुरोहित)
अपर जिला न्यायाधीश
क्रम—2, उदयपुर